

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL\*

17.40 hrs.

(Insert of new article 174A)

## HINDU SUCCESSION ACT†

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की धारा 174 (क) में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

श्री नाथ पाई : मैं इस विधेयक को पेश करता हूँ।

FILM INDUSTRY WORKERS BILL\*

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चलचित्र उद्योग में श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने तथा उन के काम की दशा में सुधार करने के लिये प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry."

*The motion was adopted.*

श्री स० च० सामन्त : मैं चलचित्र उद्योग श्रमिक विधेयक पेश करता हूँ।

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की माफ़त करोड़ों इस देश में देहातों में रहने वाले किसानों की जो शिकायत है उस की तरफ सरकार की तबज़ह सींचना चाहता हूँ।

शुमाली हिन्दुस्तान में खास कर और ग्रामतौर पर सारे ही देश में जो दिक्कत जमीन वाले किसानों को महसूस होती है और जो विरासत एक्ट है जिसे कि हिन्दू सेक्शन एक्ट बोलते हैं इस में सेक्शन 8 की बदौलत जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के करोड़ों किसानों को और देहात वालों को तकलीफ़ होती है वह में आप की माफ़त सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ।

बात यह है कि इस इलाके में सैकड़ों झाल से नहीं हजारों साल से एक बाज चला आता है और वह रिवाज एक रस्म की शकल अख्तियार कर गया है, एक ऐसे कस्टम की शकल अख्तियार कर गया है कि लोग उसे ग्राम तौर पर समाजी और महजबी रूप देने लग गये हैं। जहाँ तक हमारी शादियों का ताल्लुक है जहाँ तक हमारे त्योहारों का ताल्लुक है, जहाँ तक हमारी बोलचाल का ताल्लुक है जहाँ तक हमारे रहन सहन का ताल्लुक है वह अलग अलग है। शुमाली हिन्दुस्तान के और खास तौर पर इस इलाके के जिनको कि वह तकलीफ़ है और वह मैं आप को पेश करता हूँ कि वह न सिर्फ़ देहात की तकलीफ़ है बल्कि शहर को भी तकलीफ़ है और वह यह है कि जब लड़की हमारे यहाँ जवान होती है 12 साल की 13 साल की तो हम उस की शादी करते हैं और शादा भी ऐसी जगह करते हैं जहाँ उस लड़की व ग़ीब

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 14-2-68.

†Half-An-Hour Discussion.